**Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,**
**Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2021: 7.278, www.srjis.com**
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, OCT-NOV, 2021, VOL-9/48

# शिक्षा अधिकार अधिनियम २००६ के अन्तर्गत निर्बल वर्ग तथा वंचित समूह हेतु आरक्षित २५ प्रतिशत सीट उपलब्धता का एक विश्लेष्णात्मक अध्ययन

**प्रो० सरिता पाण्डेय[१] एवं राजेश यादव[२]**

*[१]शिक्षाशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)*

*[२]शोधछात्र शिक्षाशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)*

**Paper Received On:** 25 NOV 2021
**Peer Reviewed On:** 30 NOV 2021
**Published On:** 1 DEC 2021

***Abstract***

*निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम संसद द्वारा २००६ में पारित हुआ तथा इसे १ अप्रैल २०१० से लागू किए जाने लिए अधिसूचित किया गया। तथा ८६ वां संविधान संशोधन में ६ से १४ वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गयी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००६ एक्ट सम्पूर्ण भारत वर्ष में सभी को समान शैक्षिक अवसर देने की बात पर बल देते हुए निर्बल व वंचित वर्ग को शिक्षित करने का भी प्रयास किया। जिससे समाज में उनको भी शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त हो सके। इस संविधान द्वारा २५ प्रतिशत सीटे भी आरक्षित की गयी। लेकिन आरक्षण से कुछ लोग लाभान्वित हुए तथा कुछ लोग वंचित रह गये। वंचित वर्ग को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के अनेक लाभकारी सुझाव को बताया गया है, जिससे कि शिक्षा के समान अवसर का निर्बल एवं वंचित समूह लाभ उठा सके।*

***सूचक शब्दावली-*** *अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम २००६, गरीब एवं निर्बल वर्ग, निजी विद्यालयों में २५ प्रतिशत आरक्षण*

***Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com***

## प्रस्तावना-

शिक्षा अपने औपचारिक स्वरुप में जहां से प्रारम्भ होती है। वह औपचारिक शिक्षा का प्रथम स्तर या प्राथमिक शिक्षा स्तर के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक शिक्षा समग्र शिक्षा की आधार शिला होती है। और आदर्श जीवन जीने के लिए अनिवार्य होती है। अपने इसी उद्देश्यों के कारण १८/१६ वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय देश स्वीडन ने सन् १८४२ ई० में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की व्यवस्था की। तत्पश्चात यह क्रमशः १८५२ मे अमेरिका ,१८६० मे नार्वे, १८७० में इग्लैण्ड से होते हुए सन् १६०५ ई० मे हंगरी, पुर्तगाल, स्वीटजरलैण्ड जैसे देशों ने इसी अनुसार अपनी व्यवस्था किया। ब्रिटिश कालीन भारत में सन् १८८२ ई० मे दादाभाई नरौजी ने भारती शिक्षा आयोग(हण्टर कमीशन) के सामने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए अपनी मांग रखी। तत्कालीन समय में यह उनकी मांग स्वीकार नही की गई। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयास भारत मे एक देशी रियासत बड़ौदा द्वारा किया गया। बड़ौदा रियासत के शासक महाराज सिवाजी राव गायकवाड़ नें सन् १८६३ ई० में अपनी रियासत के अमरेलीतालुके में अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की। और इसकी सफलता से प्रभावित होकर सन् १६०६ में अपने सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा मे इम्पिरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मे गोपालकृष्ण गोखले द्वारा सन्

१९१० मे एक विधेयक प्रस्तुत किया गया परन्तु मतदान मे वह सफल नही हो सका। इस दिशा में प्रथम सफल प्रयास विठ्ठल भाई पटेल द्वारा सन् १९१८ ई० में बम्बई म्यूनिसिपिल क्षेत्र में लागू हुआ और इसे पटेल कानून के नाम से अधिक प्रसिद्धि मिली। भारत के कुछ अन्य राज्यों मे भी जैसे-सन् १९१९ ई० में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, सन् १९२० ई० में मध्यप्रदेश, मद्रास तथा १९२६ में आसाम अधिनियमों का निर्माण किया। १५ अगस्त १९४७ को स्वतंत्रता पश्चात संविधान निर्माण में नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद ४५ मे कहा गया कि संविधान लागू होने के १० वर्ष के अन्दर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को १४ वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।" परन्तु दुर्भाग्यवश यह संकल्प कार्यरुप मे परिणित नही हो पाया। कोठारी आयोग ने भी इस संकल्प को पूरा करने मे विभिन्न समस्याओं का उदाहरण देते हुए विशाल जनसंख्या वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया। राधाकृष्णन कमीशन १९४८-४९, मुदालियर कमीशन १९५२-५४, भारतीय शिक्षा आयोग १९६४-६६, भारतीय शिक्षा नीति १९६८, भारतीय शिक्षा नीति १९८६, क्रियान्वयन कार्यक्रम १९९२ द्वारा इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नही हो सका था। परन्तु १९९३ ई० में उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य मामले मे माननीय उच्चतम् न्यायलय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय मे यह कहा कि शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अपूर्ण है। तथा १४ वर्ष के आयु तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा देना राज्य का कर्तब्य है। इस निर्णय के उपरान्त ८६ वां संविधान संशोधन २००२ को पारित हुआ जिसके द्वारा अनुच्छेद २१(।) स्थापित करते हुए यह व्यवस्था की गई कि "राज्य ६-१४ वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बालको के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का ऐसी रीति मे राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, उपबन्ध करेगा।"

इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद ४५ के लिए स्थानापन्न किया गया। राज्य सभी बच्चों को जब तक वे ६ वर्ष की आयु सीमा पुरी नही कर लेते बचपन पूर्व सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगें। इसके अतरिक्त अनुच्छेद ५१(क) में एक नया खण्ड (ट) अन्तः स्थापित किया गया। जिसमे यदि माता-पिता या संरक्षक हैं तो ६-१४ वर्ष के मध्य की आयु के अपने बच्चों या यथास्थिति अपने प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवशर प्रदान करें। ४ अगस्त २००९ को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। जिसका राजपत्र के रुप में प्रकाशन २७ अगस्त २००९ को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। १ अप्रैल २०१० से यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण देश मे लागू किया गया।

**निर्बल वर्ग तथा वंचित समूहों के लिए आरक्षित निजी विद्यालयों में सीट उपलब्धता की वर्तमान स्थिति-**

शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ की धारा १२ (१) (सी) के अर्न्तगत देश भर के विद्यालयों में लगभग २० लाख सीटे प्रतिवर्ष ऐसे वर्गो के लिए सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसी सीटों के सापेक्ष नामांकन कुछ सीटों के २० प्रतिशत के लगभग हुआ। जो कि इस विधेयक की सार्थकता पर प्रश्न चिह्न खड़ा करती है। विभिन्न शोध अध्ययनों में यह निष्कर्ष प्रकट हुआ कि सरकारी प्रयासों की उदासीनता तथा निजी विद्यालय प्रबंधकों की मनमानी के कारण इस वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत अधिक व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देशव्यापी यदि अध्ययनों को देखा जाय तो गुजरात, राजस्थान तथा दिल्ली जैसे राज्यों ने इस दिशा मे बहुत अच्छा कार्य

*Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language*

किया। आकड़ों के आधार पर इन सीटों मे नामांकन २०१३-१४में लगभग ५१ लाख, २०१४-१५ मे ४८, २०१५-१६ मे ६ लाख तथा अपेक्षाकृत कम ४३ लाख २०१६-१७ में इन सीटो मे नामांकन हुए। यह समस्त आकड़े भारत सरकार के अभिलेखों के आधार पर है। २०१५-१६ में यह मात्रा २७ प्रतिशत के करीब रही, जो कि सर्वाधिक थी। यदि हम तीन वर्षो का तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह औषत २० प्रतिशत के आस-पास ठहरता है। २०१६-१७ में सीटो की संख्या केवल १६ प्रतिशत निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित की गई थी।

**ई० डब्लू० एस० कोटे की सीटो मे कम नामांकन के कारण-**

इन सीटो में नामांकन कम होने के निम्नलिखित कारण प्रकाश मे आये। जिनका बिन्दुवार विवरण इस प्रकार है-

- प्रायः इस वर्ग मे जानकारियों का अभाव रहता है। और वह अपने लिए बनाए गए उपबन्धों को नही जानते है। और उपयोग से वंचित रह जाते हैं।
- निजी प्रबंधकों की मनमानी एवं सरकारी तंत्र से साठ-गाठ के कारण आरक्षित सीटों पर वह धनी व्यक्तियों से सुविधा शुल्क लेकर प्रवेश दे देते है।
- भारत मे सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयों का एक व्यापक तंत्र है। जिसमें कि बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षक नियोजित है। विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखा जाता है। और प्राथमिक शिक्षा में इसी अनुपात के आधार पर पदोन्नति एवं स्थानांतरण नीतियां बनाई जाती है। जिस कारण से अपने विद्यालय की संख्या को संतुलित रखने के लिए सरकारी शिक्षकों द्वारा इस वर्ग के छात्रों को सरकारी विद्यालय में ही नामांकित कर दिया जाता है। और वह निजी विद्यालयों में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं।
- निजी विद्यालयों का वातावरण अपेक्षाकृत अधिक खर्चीला होता है। और कमजोर वर्ग के माता-पिता यह सोचते हैं कि उनके बच्चे का प्रवेश तो हो जायेगा मगर वह उसके अन्य खर्चो को वहन करनें मे सक्षम नही है। जिस कारण से निजी विद्यालयों की इस कोटे की सीटे खाली रह जाती है।
- अच्छे विद्यालय नगरीय तथा उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित होते है। और कमजोर वर्गो के लोग ग्रामीण क्षेत्रों तथा दुरस्थ अंचलों मे निवास करते है। यातायात सुविधाओं की कमी तथा खर्चीला होने के कारण वह नांमाकन कराने में असमर्थ होते है। और सीटों के खाली रहने का यह एक बड़ा कारण है।

**नामांकन वृद्धि हेतु सुझाव-**

- ग्राम शिक्षा समिति एवं समाज के सदस्यों के मध्य बेहतर तालमेल स्थापित किया जाय और अभिभावकों के प्रत्येक बच्चों को नामांकित कराने के लिए प्रेरित किया जाय।
- भौगोलिक रुप से दूरस्थ अंचलों के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय का निमार्ण किया जाना चाहिए। जिससे कि उन्हे आवागमन से छुटकारा मिल सके ।
- आर्थिक रुप से कमजोर अभिभावकों के लिए सरकारी योजनाओ की पहुच व्यवस्थित की जानी चाहिए, जिससे कि वह बच्चो को विद्यालय भेजने के लिए संतुष्ट हो सके ।

*Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language*

- शिक्षा अधिकारियों तथा शिक्षकों को शिक्षा अधिकार अधिनियम २००९ में वर्णित उपबन्धों को दृढ़ता पूर्वक पालन करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए और इसके लिए बेहतर अनुश्रवण तंत्र का विकास किया जाना चाहिए।
- स्वयं सेवी संस्थाओं एवं शिक्षाविदों की सहायता से समय-समय पर जनजागरण कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है।
- व्यापक रुप से हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से यह ज्ञात किया जाना चाहिए कि किस परिवार में गैर नामांकित बच्चा है। और नामांकित न होने के पीछे क्या कारण है, यथाशीघ्र ही निवारण किया जाना चाहिए।
- अशिक्षित एवं घुमन्तू परिवारों के लिए स्थानीय रोजगार का सृजन किया जाना चाहिए, जिससे कि उनके आश्रित बच्चे स्थायी हो करके स्थानीय विद्यालय में नामांकित हो सके।
- नामांकन के साथ-साथ ही बच्चों के ठहराव एवं बीच में पढ़ाई न छोड़ने के लिए समय-समय पर निर्देशात्मक परामर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- बच्चों मे जिज्ञासा बढ़ानें वाले कारकों की पहचान की जानी चाहिए। और विद्यालयी गतिविधियों मे उनको सम्मिलित किया जाना चाहिए, इससे आकर्षित होकर बच्चे विद्यालय कार्यक्रम की ओर उन्नमुख होगें।

**सन्दर्श-ग्रन्थ सूची-**

*गुप्ता एस०पी०(२०१५). भारतीय शिक्षा का इतिहास,विकास एवं समस्यायें. प्रयागराज : शारदा प्रकाशन. पृष्ठ संख्या २९६.*

*भारत (२०१८).सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार. पृष्ठ संख्या १५५-१५६.*

*U-DISE भारत सरकार, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17.*

*पाण्डेय एस० एवं यादव, आर० (२०१९). शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ हेतु किये गये सरकारी प्रयासो की सार्थकता का अध्ययन (एक विश्लेष्णात्क अध्ययन). Shiksha Shodh Manthan ५(२), १२१-१२६*

*Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language*